

## केन्द्रीय मुहर विभाग - 2

हमारा संदर्भ: के.मु.वि.-2/16:7466

दिनांक 26 10 2023

**विषय: संशोधित IS 7466:2023 के कार्यान्वयन की अंतिम तिथि में विस्तार**

यह सीएमडी-2 के परिपत्र संदर्भ सीएमडी-2/16:7466 दिनांक 07.06.2023 के माध्यम से प्रसारित संशोधित आईएस 7466:2023 के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों के संदर्भ में है, जो संशोधित मानक के कार्यान्वयन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2023 दर्शाता है।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने संशोधित आईएस 7466:2023 के कार्यान्वयन की अंतिम तिथि को 6 महीने के लिए 19 अप्रैल 2024 तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है।

बीओ कृपया इस पर ध्यान दें और इसे लाइसेंसधारियों और आवेदकों के ध्यान में लाएँ

(आदित्य दास)  
वैज्ञानिक-डी

**प्रमुख, (के.मु.वि.-2)**

**उपमहानिदेशक(प्रमाणन)**

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को intranet माध्यम से परिचालित

## CENTRAL MARKS DEPARTMENT - 2

Our Ref: CMD-2/16: 7466

26 10 2023

**Subject: Extension in the last date of implementation of revised IS 7466:2023**

This is with reference to Guidelines for implementation of revised IS 7466:2023 circulated vide CMD-2's circular ref CMD-2/16:7466 dated 07.06.2023 indicating the last date of implementation of revised standard as 19<sup>th</sup> Oct 2023.

In this regard, it is informed that the Competent Authority has agreed to extend the last date of implementation of revised IS 7466:2023 for 6 months up to 19 April 2024.

BOs may please take note and bring this to the attention of licensees and applicants.

(Aditya Das)  
Sc. D (CMD-2)

**Head (CMD-2)**

**DDG (Certification)**

**Circulated to: all ROs/BOs through intranet**